

①

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक लेखा/वैठक/2019/ 2938-60 दिनांक 2/09/19  
लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारियों की मासिक बैठक दिनांक 18.09.2019

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक जोन कार्यालयों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, मे पदस्थापित लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारियों की आयोजित की जाने वाली मासिक बैठक दिनांक 18.09.2019 को अधोहस्तारकर्ता की अध्यक्षता में प्रातः 11:00 बजे स्वास्थ्य भवन मीटिंग हॉल में आयोजित की जायेगी। जिसमें निम्नांकित विन्दुवार चर्चा की जावेगी।

समस्त लेखाकर्मी नियमित रूप से लायी जाने वाली सूचनाओं के साथ निम्नलिखित विन्दुओं पर सूचना बैठक में अपने साथ लेकर आयेगे -

- 1 डोरमेन्ट अकाउन्ट में अवशिष्ट राशि को राजकोष में जमा करवाए जाने की सूचना ( परिशिष्ट-3)।
- 2 बकाया मासिक आय एवं व्यय (माह जुलाई, 2019 तक) मानचित्र तथा अक मिलान प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से संलग्न कर प्रस्तुत करें। (संलग्न परिशिष्ट-1)
- 3 बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं (MPW) के अवमानना प्रकरणों में बकाया भुगतान सम्बन्धी सूचना।
- 4 वजट की स्थिति।
- 5 समस्त कार्यालय द्वारा आवंटित/रिक्त राजकीय आवासों की मय नाम सूचना।
- 6 सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत बकाया वेतन स्थिरीकरण की नवीनतम सूचना।
- 7 कार्यालयों में स्वीकृत पदों से अधिक तथा प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों की नवीनतम सूचना। ( अतिरिक्त मुख्य राचिव महोदय के पत्र की पालना की स्थिति)
- 8 महालेखाकार अकक्षेपण प्रतिवेदनो की समस्त प्रथम अनुपालनाएं एवं बकाया प्रतिवेदनो के लम्बित आक्षेपों की टोस अनुपालनाएं दिनांक 16.9.19 को सम्पादित होने वाली राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की मीटिंग से पूर्व महालेखाकार कार्यालय से सम्पर्क कर अधिक से अधिक अनुपालनाएं प्रेषित कराने की सूचना।
- 9 वित्तीय वर्ष 2019-20 में अगस्त, 2019 तक कार्यालयों के नकारा/सरप्लस/अनुपयोगी सामान का निस्तारण/पुराने रिकार्ड का नष्टीकरण एवं अवधिपार भेषज एवं औषधियों का निस्तारण सम्बन्धी सूचना।
- 10 चोरी/गवन के प्रकरणों के सम्बन्ध में केसवार नवीनतम सूचनाएं।
- 11 शिकायतों (अनियमित निविदा, गबन, जाच प्रकरण) के सबंध में जोन कार्यालयों से मागे गये तथ्यात्मक रिपोर्ट की प्रति।
- 12 निदेशक, निरीक्षण विभाग के विशेष जांच प्रतिवेदनो के बकाया आक्षेपों की पूर्ण एवं टोस अनुपालनाएं निर्धारित कैम्प में प्रस्तुत करें।
- 13 निदेशक निरीक्षण विभाग के दिनांक 31.08.2019 में शेष रहे बकाया भण्डार भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनो की अनुपालनाएं साथ लेकर आवे।
- 14 आन्तरिक निरीक्षण प्रतिवेदनो की समस्त प्रथम अनुपालनाएं एवं शेष सभी बकाया आक्षेपों की टोस एवं सारगर्भित अनुपालनाएं भिजवाया जाना सुनिश्चित करें तथा इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1406 दिनांक 27.06.19 द्वारा चाही गयी बकाया प्रतिवेदनो के बकाया आक्षेपों की वास्तविक वस्तुस्थिति एवं उक्त को निरस्त करवाने हेतु लगवाये जाने वाले कैम्प की तिथि निर्धारित कर सूचित करवाये।
- 15 बकाया ओवी आईटम्स। (संलग्नानुसार परिशिष्ट-2)
- 16 प्रपत्र 1 से 8 की सूचनाएं प्रपत्र संख्या 1,4,8 की सूचना अलग एवं प्रपत्र संख्या 2,3,5,6 एवं 7 की सूचना अलग से जोनवार समेकित कर हार्डकॉपी सहित बैठक में उपस्थित होवे।
- 17 कम संख्या 1,5,7,8,9,10,14 एवं 15 से संबंधित सूचनाएं निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 16.9.19 तक वित्तीय सलाहकार की मेल आई डी (famh-rj@nic.in) पर भिजवाया जाना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करावे।

वित्तीय सलाहकार,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर  
दिनांक

क्रमांक लेखा/बैठक/2019/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित/अराजपत्रित/प्रशासन/चि प्रशा) मुख्यालय।
- 2 चोडल अधिकारी, एम एन जे वाई मुख्यालय।
- 3 समस्त सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ CMHO/BCMO/CHC के बकाया चोरी/गबन के प्रकरणों एवं विशेष जाच के बकाया आक्षेपों की सूचना तैयार करवाकर बैठक में प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित करावे।
- 4 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों बीसीएमओ/सीएचसी के बकाया चोरी/गबन के प्रकरणों एवं विशेष जाच के बकाया आक्षेपों की सूचना तैयार करवाकर सयुक्त निदेशक को अविलम्ब भिजवाये।
- 5 समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, जयपुर से सम्बन्धित बकाया चोरी/गबन के प्रकरणों एवं विशेष जाच के आक्षेपों की सूचना तैयार करवाकर बैठक में प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित करें।
- 6 निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा0)/परिवार कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0 जयपुर।
- 7 निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0 जयपुर।
- 8 लेखाधिकारी (मु0/वजट/निरीक्षण)/सहायक लेखाधिकारी(वजट/आ अके/एजी ऑडिट/एसपीओ/अक मिलान) मुख्यालय।
- 9 भण्डार अधिकारी, मुख्यालय (मुख्यालय स्थित वाहन एवं भण्डार सामग्री के निस्तारण बावत।
- 10 समस्त लेखा0/सहा0 लेखा0, कार्यालय सयुक्त निदेशक जोन/मु. चि एवं स्वा अधिकारी/प्र चि अधिकारी।
- 11 श्री रामजी लाल मीणा, श्री कपिल मीणा, सुश्री नीता कुमारी, श्री मनोज त्यागी, एवं श्री नवरतन बैरवा, श्रीमती रीटा दाधिच, श्री रामकुमार वर्मा, आन्तरिक अकक्षेपण अनुभाग मुख्यालय को मीटिंग में उपस्थित रहने हेतु।
- 12 श्रीमती अदिति शर्मा, सुश्री निशा गुर्जर, श्री सीताराम मीणा, श्री ज्ञानचन्द नुवाल, श्री नवीन मीणा, श्री सुधीर कुमार जैन मुख्यालय को मीटिंग में उपस्थित रहने हेतु।
- 13 केयर टेकर, निदेशालय कृपया दिनांक 18.09.2019 को मीटिंग हेतु प्रातः 11:00 बजे से हॉल आरक्षित करें।
- 14 प्रभारी, सर्वर, रूम (मु) कृपया इस सूचना को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।

वित्तीय सलाहकार,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

## परिशिष्ट-1

## जिला कार्यालय के बकाया मासिक आय-व्यय की सूचना

क्र.सं.	कार्यालय जिनके व्यय मानचित्र बकाया है	माह
1.	सीएमएचओ, जैसलमेर	04/19 से 07/19
2.	सीएमएचओ, उदयपुर	04/19 से 07/19
3.	चि0अधि0प्रभारी, टी.बी. क्लिनिक, जैसलमेर	04/19 से 07/19
4.	पी एण्ड सी, जोधपुर	04/19 से 07/19
5.	पीएमओ, नागौर	04/19 से 07/19
6.	पीएमओ, पाली	05/19 से 07/19

इनके अलावा रामस्त सयुक्त निदेशक, चि0 एवं स्वा0 सेवाएं, जोन एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों के माह जुलाई 2019 के मासिक आय-व्यय मानचित्र मय अंक मिलान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

## जिला कार्यालयों के बकाया ओ.बी. आईटम्स की सूची दिनांक 31-08-2019

क्र सं.	कार्यालय का नाम	ओ.बी. आईटम नं०	लेखावधि	राशि
1.	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फलौदी (जोधपुर)	202 / 37	11 / 2014	7230 / -
2.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सामु० स्वा० केन्द्र, पीपाडशहर (जोधपुर)	204 / 39	11 / 2014	1607 / -
3.	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामु० स्वा० केन्द्र, चामू जोधपुर (ग्रामीण)	205 / 40	11 / 2014	9824 / -
4.	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामु० स्वा० केन्द्र, रेलमगरा (राजसमन्द)	212 / 59	02 / 2015	2376 / -
5.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चूरु	49	09 / 2017	15782 / -
6.	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मकराना (नागौर)	54	12 / 2017	3451 / -
7.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी सामु० स्वा० केन्द्र, करणपुर (करौली)	56	03 / 2018	128758 / -
8.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी सामु० स्वा० केन्द्र, सपोटरा (करौली)	57	03 / 2018	35692 / -
9.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भरतपुर	58	04 / 2018	562640 / -
10.	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामु० स्वा० केन्द्र, गोलूवाला (हनुमानगढ़)	59	05 / 2018	2307 / -
11.	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामु० स्वा० केन्द्र, पल्लू (हनुमानगढ़)	60	05 / 2018	2000 / -
12.	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामु० स्वा० केन्द्र, फेजाना (हनुमानगढ़)	61	05 / 2018	6700 / -
13.	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामु० स्वा० केन्द्र, भादरा (हनुमानगढ़)	62	05 / 2018	97499 / -
14.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामु० स्वा० केन्द्र, सारोलाकला (झालावाड)	63	06 / 2018	47809 / -
15.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजकीय सैटेलाईट चिकित्सालय, झालरापाटन जिला झालावाड	64	06 / 2018	116310 / -
16.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामु० स्वा० केन्द्र, सारोलाकला (झालावाड)	65	06 / 2018	4400 / -
17.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामु० स्वा० केन्द्र, रटलई (झालावाड)	66	06 / 2018	2000 / -
18.	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिशनगढ़वास (अलवर)	68	07 / 2018	5440 / -
19.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर	69	07 / 2018	903504 / -
20.	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी पीसागन (अजमेर)	70	07 / 2018	45751 / -
21.	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामु० स्वा० केन्द्र, भिवाडी तिजारा (अलवर)	71	07 / 2018	1921 / -
22.	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी मालाखोडा (अलवर)	72	07 / 2018	5440 / -
23.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अलवर	73	07 / 2018	1231580 / -
24.	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामु० स्वा० केन्द्र, मागरोल (वारा)	74	08 / 2018	96179 / -
25.	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं आहरण वितरण अधिकारी शाहवाड (वारा)	75	08 / 2018	72346 / -
26.	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी अन्ता (वारा)	76	08 / 2018	108204 / -
27.	सामान्य चिकित्सालय सवाईमाधोपुर	77	10 / 2018	106422 / -
	कुल योग			4581179

## परिशिष्ट-3

विशेष उद्देश्य (योजनाओं) के लिए खोले गये बैंक खातों में से डोरमेंट बैंक खातों की सूचना का विवरण।

क्र.सं.	कार्यालय आहरण एवं वितरण अधिकारी का नाम	कुल बैंक खातों की संख्या	खातों की संख्या एवं विवरण (खाता संख्या)	डोरमेंट बैंक खाते में दिनांक 31.03.19 की राशि	राजकोष में राशि जमा करवाने का प्रमाण मय दिनांक
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्थें राजस्थान  
क्रमांक-लेखा/अनु0वा0/2019/ 2316

जयपुर  
दिनांक 11/8/19

1. समस्त संयुक्त निदेशक,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन राजस्थान।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान।
3. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान।
4. समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान।

विषय:-विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत संचालित ऑनरोड एवं ऑफ रोड वाहनों की वर्तमान स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि उनके कार्यालय में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत संचालित ऑनरोड एवं ऑफ रोड तथा अनुपयोगी वाहन जिन्हें नीलाम किया जा चुका है, कि सूचना निम्नांकित संलग्न प्रारूप में 03 दिवस में वित्तीय सलाहकार, की मेल आई डी0 famh-rj@nic.in पर प्रेषित कराने का श्रम करावे:-

क्र०सं०	योजना का नाम जिसके अन्तर्गत वाहन संचालित है	वाहन संख्या जो कि चालू स्थिति में है	वाहन संख्या जो ऑफ रोड स्थिति में है	अनुपयोगी वाहन जो स्टेट गैराज/नीलाम किया चुका है	अनुपयोगी वाहन जो स्टेट मोटर गैराज/नीलामी हेतु प्रक्रियाधीन हो	कुल वाहनों की संख्या
योग						

*(Signature)*  
21/8/19

वित्तीय सलाहकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्थें  
राजस्थान जयपुर  
दिनांक

क्रमांक-लेखा/अनु0वा0/2019/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त संयुक्त निदेशक जोन को प्रेषित कर लेख है कि अधीनस्थ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से सूचना एकत्रित कर प्रेषित करावें।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि अधीनस्थ कार्यालय से सूचना एकत्रित कर संबंधित जोन कार्यालय को प्रेषित करावें।
3. प्रभारी सर्वर राग, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
4. रक्षित पत्रादली।

//

वित्तीय सलाहकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्थें  
राजस्थान जयपुर

6

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0 जयपुर

क्रमांक : लेखा/आं.जां /विविध/2019/ 1406

दिनांक : 27-06-2019

1. समस्त जोन कार्यालय,
2. समस्त मु0 चि0 एवं स्वा0 अधिकारी,
3. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
4. समस्त सैटेलाईट जिला अस्पताल,
5. समस्त जिला कुष्ठ अधिकारी,
6. समस्त औषधि नियन्त्रक अधिकारी,
7. समस्त जिला क्षय रोग अधिकारी,
8. समस्त ब्लॉक मु0 चि0 अधिकारी,
9. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,

विषय—आन्तरिक जांच के बकाया प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की वास्तविक वस्तुस्थिति एवं उक्त को निरस्त करने हेतु लगवाये जाने वाले कैम्प की तिथि निर्धारित कर मुख्यालय को अवगत करवाने बाबत।


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आन्तरिक जांच के बकाया प्रतिवेदनों के लम्बित आक्षेपों की स्थिति अत्यन्त गंभीर है एवं सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा लम्बित आक्षेपों की ठोस एवं सारगर्भित अनुपालना प्रेषित करने में कौताही बरती जा रही है। अतः मुख्यालय को सम्बन्धित समस्त कार्यालयों में आदिनांक तक आन्तरिक जांच के लम्बित प्रतिवेदन एवं लम्बित आक्षेपों के सम्बन्ध में वास्तविक वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु सूचना निम्नांकित प्रपत्र में प्रेषित करावें :-

क्र.सं.	प्रतिवेदन अवधि	कुल आक्षेप	प्रक्रिया सहित आक्षेपों की संख्या	वित्तीय अनियमितता सम्बन्धित आक्षेपों की संख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.					

साथ ही सम्बन्धित कार्यालय में उक्त आक्षेपों को निरस्त करने हेतु लगवाये जाने वाले कैम्प की तिथि से भी मुख्यालय को अवगत करावें, ताकि तदनुसार कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्तर पर कैम्प आयोजित कर बकाया आक्षेपों के निस्तारण की कार्यवाही की जा सके।

प्रतिलिपि :-

प्रभारी सर्वरूम को दी जाकर लेख है कि विभाग की वेबसाइट पर अभिलेख करावे।



26/6/19  
वित्तीय सलाहकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राजस्थान जयपुर